

कमिशनर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित:-

श्री दीपक कुमार, कमिशनर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

प्रार्थी :-

सर्वश्री निडिल इण्डस्ट्रीज इन्डिया प्रा० लि०, 255/ 85 कुमार निवास,
कुन्दरी रकाबगंज, लखनऊ।

प्रा० प० सं०:-

288 / 2008

प्रार्थी की ओर से

श्री डी० के० शुक्ला, असिस्टेन्ट सैल्स मैनेजर।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

1- प्रार्थी के द्वारा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र दिनांक 10-6-2008 को प्रस्तुत किया गया जिसमें निम्न वस्तुओं पर कर की दर की जानकारी चाही गई है :-

1- Hand sewing needles , Knitting pins , Crochet hooks, Safety pins & other pins .

2- Buttons Snap fastners .

3- Scissors, tailors shears .

4- Suture needles .

5- Hooks , hooks & eyes .

6- Counted Cross Stitch Kit

2- धारा-59 के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हेतु श्री डी० के० शुक्ला, असिस्टेन्ट सैल्स मैनेजर उपस्थित हुए। उपरोक्त वस्तुओं पर कर की दर की जानकारी देने का अनुरोध किया।

3- मैंने धारा-59 के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया। शिडयूल-1 के क्रमोंक 23 पर निम्न प्रविष्टि है :-

KumKum , Bindi ,Alta & Sindur , roli, mahawar , mehndi leaves and its powder, Kajal ,surma, hairpins , hairband, hair clip , (other than that of precious metal), rubber band, safety pin , chutilla , bichhia and rakhi, **moonga or moti made of glass** .

अतः safety pin उक्त प्रविष्टि में होने के कारण करमुक्त है।

शिडयूल -2 पार्ट सी के क्रमोंक 220 पर निम्न प्रविष्टि है :-

Buttons ,elastic , zip , zip fastners , foams , nylon tape , lace and zipper .

उक्त प्रविष्टि में **Buttons** सम्मिलित है अतः इस पर 4 प्रतिशत की दर से करदेयता है।

शिडयूल -2 पार्ट ए के क्रमोंक 5 पर निम्न प्रविष्टि है :-

Marble goods ; deepak made of brass & copper ; statue made of brass ; woolen carpet ; cup, trophy and shield ; scissor , ustra used by barbers ; padlock ; Rampuri chakoo.

उक्त में **scissor** सम्मिलित है अतः इस पर 4 प्रतिशत की दर से करदेयता है।

शिडयूल-2 पार्ट ए के क्रमोंक 79 पर निम्न प्रविष्टि है :-

Medical equipment / devices & implants , contact lens , spectacle frame , lenses, spectacles excluding sungoggles & sunglasses .

उक्त प्रविष्टि में **Suture needles Medical devices** है अतः इस पर 4 प्रतिशत की दर से करदेयता है।

उक्त के अतिरिक्त अन्य वस्तुएँ शिडयूल- 1, 2, 3 व 4 में वर्गीकृत न होने के कारण शिडयूल-5 के अन्तर्गत 12.5 प्रतिशत की दर से करदेय है।

4- प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

5- इस निर्णय की एक प्रति प्रार्थी को तथा एक प्रति सम्बन्धित कर निर्धारक अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाय।

दिनांक: अगस्त 8 2008

ह०/ 08-08-2008

(दीपक कुमार)

कमिशनर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

